

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 19, 2016/पौष 29, 1937

No. 44]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 19, 2016/ PAUSA 29, 1937

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 85(अ).—सॉवरेन गोल्ड बांड स्कीम, 2016 के संबंध में दिनांक 14 जनवरी, 2016 की अधिसूचना सा.का.नि. 33(अ) में आंशिक संशोधन करते हुए “आईडीएफसी बैंक लिमिटेड” को एतद्वारा अनुबंध-I में अनुसूचित निजी बैंकों की सूची में क्र. सं. 21 पर शामिल करते हुए, प्राप्तकर्ता कार्यालय के तौर पर अधिसूचित किया जाता है। अधिसूचना के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगे।

[फा. सं. 4(19)-डब्ल्यूएंडएम/2014]

भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा,

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2016

G.S.R. 85(E).—In partial modification of Notification G.S.R. 33(E), dated January 14, 2016 regarding Sovereign Gold Bond Scheme 2016, the “IDFC Bank Limited” is hereby notified as a receiving office by including it at S. No. 21 in list of Scheduled Private Banks in Annexure I. The other terms and conditions of the Notification shall remain unchanged.

[F. No. 4(19)-W&M/2014]

By Order of the President of India,

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.